स्मृति-पत्र

1- संस्था का नाम :: मंजुल शिक्षा [illegible] एवं [illegible] डेवलपमेंट सोसायटी।
2- संस्था का पता : डी- 163 [illegible]-6 [illegible] नगर - [illegible]
3- संस्था का कार्यक्षेत्र: समस्त भारत वर्ष होगा।
4- संस्था के उद्देश्य:-

1- संस्था का मुख्य उद्देश्य जनता का सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, बौद्धिक रचनात्मक, आर्थिक उन्नति का सर्वांगीण विकास करना।
2- संस्था के कार्यक्षेत्र में प्राविधिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा सक्षम अधिकारियों की अनुमति से मेडिकल एवं इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
3- शिक्षा का प्रचार प्रसार करना शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु नर्सरी मान्टेसरी तथा शिशु स्तर से लेकर प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इन्टर मीडिएट आवश्यकता होने पर स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर तक के विभिन्न नामों से स्कूल खोलना एवं उनका संचालन करना। जिसमें बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करना।
4- सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना समयानुसार नाटकों का मंचन करना।
5- संस्था के कार्यक्षेत्र में निर्बल असहाय निर्धनों की सहायता करना तथा महिलाओं एवं बेरोजगारों को आत्म निर्भर बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों, रेडियो, टी.वी. इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों के प्रशिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
6- उद्यान विभाग की योजनाओं का संचालन करना तथा पंचायतीराज विभाग, स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के कार्यक्रमों का संचालन करना।
7- संस्था के कार्यक्षेत्र में कुछ [illegible] कार्यक्रमों मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, [illegible], आदि कार्यक्रमों का जनहित में संचालित करना।
8- पर्यावरण सुधार वृक्षारोपण, प्रदूषण नियन्त्रण, टीकाकरण, जन संख्या नियन्त्रण, कुष्ठ नियन्त्रण एवं जागरूकता कार्यक्रमों, पल्स पोलियो कार्यक्रमों, नेत्र शिविरों, स्वास्थ्य शिविरों निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
9- समाज की निर्बल वर्ग की बालिकाओं को रोजगारपरक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना।
10- पुस्तकालय वाचनालय चिकित्सालय, [illegible] केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

सत्य-प्रतिलिपि

विकलांगों को विविध प्रकार के प्रशिक्षण देना कृत्रिम उपकरणों को दिलाना एवं, बधिर अन्ध विद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना सहित, वाचन वादन केन्द्रों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

11- संस्था के कार्यक्षेत्र में पुस्तिकायें, अनौपचारिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। दैवीय आपदाओं के समय जनता की सहायता करना जैसे, भूकम्पपीड़ितों, बाढ़पीड़ितों अग्निपीड़ितों, महामारी आदि से पीड़ितों की सहायता करना।

5- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिन्हें संस्था के नियमानुसार कार्य भार सौंपा गया है :-

क्र० सं० नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1- श्री महानन्द दुबे	स्व० श्रीपतिदेव दुबे	ग्राम व पो० [illegible] जनपद आजमगढ़	संरक्षक	वकालत
2- श्रीमती मंजुल दुबे	स्व० [illegible] दुबे	सी-163 वर्रा-6 कानपुर-208027	अध्यक्ष	समाजिक कार्य
3- श्री वेंकटेश्वर मिश्र	स्व० रामसुरत मिश्र	ग्राम व पो० भदैयापुर जनपद वाराणसी	उपाध्यक्ष	नौकरी
4- श्री सदानन्द दुबे	स्व० श्रीपतिदेव दुबे	सी-163 वर्रा-6, कानपुर नगर - 208027	सचिव/प्रबन्धक/कोषाध्यक्ष	नौकरी
5- डा० सदानन्द तिवारी	स्व० [illegible] तिवारी	ग्राम गगरन पो० [illegible] जिला गाजीपुर	सदस्य	नौकरी
6- श्री अमरीश दुबे	श्री सदानन्द दुबे	सी-163 वर्रा-6 कानपुर-208027	सदस्य	समाजसेवा
7- श्री साहबराज सिंह	श्री विक्रमाजीत सिंह	सी-217 वर्रा-6 कानपुर-27	सदस्य	नौकरी

6- हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृतिपत्र एवं नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजि० अधिनियम की धारा 21 सन 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

दिनांक 5/11/03

हस्ताक्षर

1- श्री महानन्द दुबे — ग्राम व पो० [illegible] जनपद आजमगढ़

2- श्रीमती मन्जुल दुबे — सी-163 वर्रा-6 कानपुर 208027

3- श्री वेंकटेश्वर मिश्र — ग्राम व पो० भदैयापुर जिला वाराणसी

4- श्री सदानन्द दुबे — ग्राम म० नं० सी-163 वर्रा-6 कानपुर-208027

5- डा० सदानन्द तिवारी — ग्राम गगरन पो० [illegible] जिला गाजीपुर।

6- अमरीश दुबे — सी-163 वर्रा-6 कानपुर 208027

7- साहबराज सिंह — सी-217 वर्रा-6 कानपुर - 27

सत्य-प्रतिलिपि

26/4/11

नियमावली

1- संस्था का नाम : मंजुल सोसाइटी वैलफेयर एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेन्ट सोसाइटी।

2- संस्था का पता : सी- 163 बर्रा-कानपुर नगर - 208027

3- संस्था का कार्यक्षेत्र: समस्त भारत वर्ष होगा।

4- संस्था के उद्देश्य: स्मृतिपत्र के अनुसार होंगे।

5- संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

1- संस्थापक सदस्य :- संस्था की स्थापना श्री सदानन्द दुबे, श्रीमती मन्जू दुबे, श्री अमरीश दुबे द्वारा अपने श्रम प्रयास व धनराशि से की जा रही है संस्थापक सदस्य कहलायेंगे। ये आजीवन संस्थापक सदस्य रहेंगे।

संस्था की सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक व्यक्ति संस्था के प्रबन्धक/सचिव एवं अध्यक्ष के नाम से आवेदन करेंगे। तत्पश्चात प्रबन्धक/सचिव/अध्यक्ष द्वारा संस्था की सदस्यता निर्धारित सदस्यता शुल्क प्राप्त कर सदस्य बनायेंगे।

आजीवन सदस्य :- जो व्यक्ति इस संस्था को 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) एकबार में एक मुश्त दान करेंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की चल या अचल सम्पत्ति दान करेंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य बनाये जायेंगे।

साधारण सदस्य :- जो व्यक्ति इस संस्था को 1000/- रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दान करेंगे वे इस संस्था के साधारण सदस्य बनाये जायेंगे।

मनोनीत सदस्य :- ऐसे व्यक्ति समाजसेवी सरकार द्वारा सम्मानित एवं ख्याति प्राप्त शिक्षा विद्वान होंगे तथा ऐसे व्यक्ति जिनसे संस्था को प्रतिष्ठा मिले उन्हें संस्था की प्रबन्धकारिणी द्वारा एक वर्ष के लिए मनोनीत किया जायेगा। सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे मताधिकारी नहीं होंगे स्वेच्छा से कोई सम्पत्ति या धनराशि दे सकते हैं।

पदेन सदस्य :- संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों के प्रधानाचार्य / आचार्य, प्रधानाचार्या/ प्राचार्या एवं परिस्थितिवश से अध्यापकों को पदेन सदस्य प्रबन्धसमिति द्वारा बनाये जा सकते हैं।

6- सदस्यता की समाप्ति :- मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर, किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित होने पर, संस्था का निर्धारित सदस्यता शुल्क समय से न जमा करने पर संस्था की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर त्यागपत्र स्वीकृत होने पर प्रबन्ध समिति के 2/3 बहुमत से निष्कासित करने पर संस्था को

सत्य-प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर

NRO1-488449141/8-10035004

/2/

द्वारा प्रबंधित, संस्था के [illegible] प्रबन्धक [illegible] कार्य करनेपर
सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी [illegible] समयावधि बाधित नहीं
होगा और न ही [illegible] का भाग [illegible] होंगे । संस्थापक सदस्यों पर
मृत्यु होना या त्यागपत्र से [illegible] ही लागू होगा [illegible] सदस्यों
पर लागू नहीं होंगे । [illegible] संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु
कार्य करेंगे [illegible] प्रवेश कार्य हेतु [illegible] होगी ।

7- संस्था के अंग :- संस्था के दो अंग है 1- साधारण सभा 2- प्रबन्धकारिणी समिति ।

8- साधारण सभा: गठन:- संस्था के संस्थापक, आजीवन, साधारण [illegible] सदस्यों से
मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा ।

बैठकें:- साधारण सभा की सामान्य बैठकें वर्ष में एक होगी तथा विशेष
बैठकें आवश्यकता अनुसार सदस्यों को सूचना देकर अध्यक्ष के अनुमोदन पर
प्रबन्धक/सचिव/कोषाध्यक्ष द्वारा बुलाई जायेगी ।

सूचनावधि- सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष
बैठकों की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व दी जायेगी ।

गणपूर्ति :- गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों में 2/3 उपस्थित सदस्यों का कोरम
होना आवश्यक [illegible] में [illegible] स्थगित हो जायेगी तथा पुनः बुलाई गई
बैठकों के लिए कोरम [illegible] आवश्यकता न होगी ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :- संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन
प्रत्येक वर्ष [illegible] होगा जिसकी तिथि संस्था की प्रबन्धकारिणी तय करेगी ।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य:-
प्रबन्धकारिणी का निर्वाचन करना।
संस्था के वार्षिक आय व्यय [illegible] वार्षिक [illegible] की रिपोर्ट को
स्वीकृत करना।
संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन या परिवर्धन करना।
5- संस्था की प्रबन्धकारिणी द्वारा पारित प्रस्तावों का अनुमोदन करना।

कार्यकारिणी समिति : गठन:- साधारण सभा में [illegible] या गुप्त मतदान या चुनाव प्रक्रिया
या [illegible] प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा प्रबन्धकारिणी
समिति में एक [illegible] एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एक सचिव/प्रबन्धक कोषाध्यक्ष
का [illegible] सदस्य [illegible] 7 [illegible] की प्रबन्धकारिणीसमिति
है जो आवश्यकता अनुसार 15 [illegible] बढ़ाई या घटाई जा सकती है
प्रबन्धसमिति के पदाधिकारी ही साधारण सभा व संचालित केन्द्रो
के पदाधिकारी होंगे । सचिव/प्रबन्धक/कोषाध्यक्ष का चुनाव आजीवन
संस्थापक सदस्यों में से हुआ करेगा ।

सत्य-प्रतिलिपि-

(एस० एन
कनिष्ठ का
भारत सरकार,

Scanned by CamScanner

५

अ- बैठके:- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा आकस्मिक बैठकों की सूचना सदस्यों को 24 घण्टे पूर्व की सूचना पर बुलाई जायेगी सामान्य बैठके वर्ष में दो होंगी तथा विशेष बैठके भी आवश्यकता अनुसार बुलाई जायेंगी।

ब- सूचना अवधि सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को ... पूर्व तथा आकस्मिक बैठकों की सूचना सदस्यों को 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

स- गणपूर्ति : गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों में से 2/3 उपस्थित सदस्यों का कोरम होगा कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाती है तो पुनः बुलाई गई बैठकों के लिए कोरम की कोई आवश्यकता न होगी बैठक का स्थान व कलेण्डर के अनुसार पूर्ववत रहेंगे।

द- रिक्त स्थानों की पूर्ति - प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होने पर उस स्थान की पूर्ति साधारण सभा की बैठकों में शेष कार्य काल के लिए कर दी जायेगी।

य- प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य:-

1- संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना।
2- संस्था के वार्षिक आय व्यय तथा वार्षिक कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करना।
3- संस्था के विवादों को सुलझाना।
4- संस्था के संचालन हेतु नियम उपनियम बनाना उपसमितियां मनोनीत करना उनको कार्य सौंपना उनके कार्यों की समीक्षा करना कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने पर मनोनयन निरस्त करना नई उपसमिति मनोनीत करना।
5- संस्था के द्वारा संचालित महाविद्यालयों को विश्व विद्यालय नियमावली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार संचालन करना।
6- उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, नागरिकों, वित्तीय संस्थाओं संस्थानों बैंकों, ट्रस्ट, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा विभाग आदि से दान, अनुदान, चन्दा ऋण चल व अचल सम्पत्ति आदि प्राप्त करना।

र- कार्यकाल- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

- पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:-

1- अध्यक्ष संस्था के सम्मानित व्यक्ति होंगे। संस्था के प्रत्येक कार्य की समीक्षा करना सुझाव देना संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना दिये गये सुझावों पर प्रबन्धकारिणी समिति को कार्य करना होगा।

Scanned by CamScanner

अध्यक्ष 1- संस्था की ओर से बैठकों की अध्यक्षता करना बैठकों के [illegible] कार्यवाही का अनुमोदन करना बैठकों को बुलाना तथा [illegible] [illegible] समान मत आने पर निर्णायक मत देना [illegible] [illegible] बैठकों में प्रस्ताव रखने की अनुमति देना अन्य वे सभी कार्य करना जो संस्था के हित में हों ।

उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करना सामान्य [illegible] में सहयोग करना ।

सचिव/ प्रबन्धक/ कार्याध्यक्ष

संस्था का मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी होगा। संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करना संस्था की ओर से सरकारी विभागों से में प्रतिनिधित्व करना संस्था की बैठकों की कार्यवाही लिखना लिपिबद्ध करना सुनाना तथा कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना संस्था की अदालती कार्यवाही करना संस्था के समस्त अभिलेख सुरक्षित रखना संस्था के द्वारा संचालित विद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थानों में प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्या/ प्राचार्य/ प्राचार्या अध्यापक/ अध्यापिकाओं रीडर, प्रशिक्षकों चिकित्सकों कर्मचारियों पुस्तकालयाध्यक्ष आदि की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति पदच्युत करना वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन तय करना व भुगतान करना करना । समस्त [illegible] की [illegible] पंजिकायें रखना उनमें कार्य के आधार पर अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रविष्टि करना कारण बताओ नोटिस जारी करना कुर्क या निलम्बित करना संस्था की चल या अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना हस्तान्तरण किराये पट्टे पर लेने देने संबंधित प्रपत्रों दस्तावेजों, अनुबंधों बैनामों आदि के प्रपत्रों दस्तावेजों, अनुबंधों बैनामों आदि पर हस्ताक्षर करना विद्यालय अनुदान [illegible] एवं शिक्षा संहिता के अनुसार विद्यालयों का संचालन करना अन्य वे सभी कार्य करना जो संस्था के हित में हो सदस्यताशुल्क दान, अनुदान, चन्दा आदि समस्त प्रकार की धनराशियाँ प्राप्त करना। संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा रखना ।

अध्यक्ष 11- संस्था के नियमों एवं उपनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

संस्था के नियमों एवं उपनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से सोसाइटीज रजि० अधिनियम की धारा 12 के अनुसार किये जायेंगे । जो साधारण सभा की बैठकों में किये जायेंगे ।

12- संस्था का कोष एवं आय के स्रोत- संस्था का समस्त कोष किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण अध्यक्ष एवं सचिव/ प्रबन्धक तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

ब- [illegible] संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों / केन्द्रों के खाते प्रबन्धक/सचिव एवं कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से विभागीय नियमानुसार संचालित किये जायेंगे ।

[illegible]
[illegible]
[illegible]

उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, नागरिकों विदेशीय संस्थाओं संस्थानों बैंकों, कपार्ट, इकाइयां, हास्टल, ट्रस्टेस, [illegible] नाबार्ड युनिसेफ विश्व स्वास्थ्य मन्त्रालय भारत सरकार कल्याण मन्त्रालय प्राविधिक शिक्षाविदों अन्य सरकारी विभागों से दान, अनुदान चन्दा [illegible] आदि प्राप्त करेगी ।

13- संस्था के आय व्यय का लेखापरीक्षण आडिट :-

संस्था के आय व्यय का लेखापरीक्षण आडिट प्रतिवर्ष एक सामान्यतया किसी योग्य व्यक्ति आडिटर या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

14- संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व

संस्था द्वारा होने वाली अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था द्वारा प्रबन्धक/सचिव/अध्यक्ष द्वारा की जायेगी अथवा उसके पद द्वारा अधिकृत व्यक्ति एडवोकेट द्वारा की जायेगी ।

15- संस्था के अभिलेख 1- सदस्यता रजिस्टर

2- कार्यवाही रजिस्टर

3- स्टाक रजिस्टर

4- कैशबुक

5- अन्य अभिलेख जो आवश्यकता होगी रखे जायेंगे ।

16- विघटन - संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजि० अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

दिनांक 5/11/03 सत्यप्रतिलिपि हस्ताक्षर

सत्य-प्रतिलिपि

कनिष्ठ कार्य प्रबन्धक
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
आयुध निर्माणी [illegible]
कानपुर-208 009

Scanned by CamScanner